न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2020 GCMS NO 2020/00102

दायरा तिथि : 07.09.2020

आदेश तिथि : 28-10-2021

प्रार्थीगण ::–

1. अमरसिंह पुत्र नाथुसिंहजी
2. भंवरसिंह पुत्र सांकलसिंहजी
3. रतनसिंह पुत्र बहादुरसिंहजी
4. रूपसिंह पुत्र बहादुरसिंहजी जातिगण राजपुत
   निवासीगण जीवदा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सहायक अभियंता,जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 28-10-2021

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की गैर खातेदारी भूमि **ग्राम जीवदा डूब क्षैत्र** तहसील बाली के खसरा नंबर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, चाही सोयम, जाव सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से ग्राम जीवदा डूब क्षैत्र तहसील बाली के खसरा नंबर 74 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, जो सिंचाई विभाग के खाते में दर्ज है, मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलुपर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2021/1139 दिनांक 09.07.2021 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम **जीवदा (डूब क्षैत्र)** तहसील बाली के खसरा नंबर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, चाही सोयम, जाव सोयम प्रार्थीगण की स्थाई गैर खातेदारी भूमि है, स्थाई गैर खातेदार की भूमि में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। वर्तमान में आवेदक अपनी भूमि में खसरा नंबर 74 मेंसे आवागमन करते हैं।

2. यह हैं रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरा वार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
01	74	2.00	चा–2 जा.2	130X 6 = 780 वर्गमीटर	सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार

3. प्रस्तावित रास्ते की भूमि ग्राम जीवदा डूब क्षैत्र में सिंचाई विभाग की भूमि है।

पेज लगातार...........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2020 GCMS NO 2020/00102
अनवान अमरसिंह वगैरा बनाम सिंचाई विभाग वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण उक्त स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगण जवाई बांध डूब क्षैत्र में स्थित भूमि के गैर खातेदार है, जिस भूमि के लिये प्रार्थीगण द्वारा रास्ता के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह भूमि ग्राम **जीवदा डूब क्षैत्र** तहसील बाली के खसरा नंबर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 प्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के प्रावधानो के तहत खातेदार काश्तकार को ही अपनी जोत तक पहुँच के लिये रास्ता उपलब्ध न होने की दशा में तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट के पश्चात् उपलब्ध करवाया जा सकता है। तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के अनुसार वर्णित भूमि जवाई बांध के डूब क्षैत्र में पडने तथा सिंचाई विभाग के ख़ाते में होने से प्रतिबंधित भूमि होना बताया।

प्रार्थीगण गैर खातेदार होने एवं रास्ता के लिये चाही गई भूमि जवाई बांध के डूब क्षैत्र की भूमि होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.
बाली, जिला-पाली (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 28/1/2021 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)